न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं० : 103/2019

1. कृष्ण कुमार पुत्र रामपत जाति जाट निवासी झिलौदा त० भादरा।

:- वादी

ब नाम

1. रामपत पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी झिलौदा त० भादरा।
2. रतनलाल पुत्र रामपत जाति जाट निवासी झिलौदा त० भादरा।
3. रोशनी पत्नी संदीप कुमार पुत्री रामपत जाति जाट निवासी झिलौदा त० भादरा हाल-रावलवाद खुर्द त० व जिला हिसार।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पवन सिहाग एवं वकील प्रतिवादीगण श्री रोहताश शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा झिलौदा के खाता सं० 136/137 के खसरा सं० 147 की 2.365है०, खसरा सं० 298 की 7.790है०, खसरा सं० 325/1 की 0.759है०, खसरा सं० 326 की 2.656है०, खसरा सं० 326/398 की 1.075है०, खसरा सं० 342 की 3.389है० कुल 18.0340है० बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं० 1 रामपत के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं० 1 रामपत की बजाय वादी कृष्ण कुमार व प्रतिवादी सं० 1 रामपत व प्रतिवादी सं० 2 रतनलाल बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूकि प्रतिवादी सं० 3 ने अपना हक व हिस्सा उक्त वाद भूमि में से वादी व प्रतिवादी सं० 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19.07.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रेक) भादरा R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 103/2019

1. कृष्ण कुमार पुत्र रामपत जाति जाट निवासी झिलौदा त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. रामपत पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी झिलौदा त0 भादरा।
2. रतनलाल पुत्र रामपत जाति जाट निवासी झिलौदा त0 भादरा।
3. रोशनी पत्नी संदीप कुमार पुत्री रामपत जाति जाट निवासी झिलौदा त0 भादरा हाल रावलवाद खुर्द त0 व जिला हिसार।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री पवन सिहाग : वादी

वकील श्री रोहताश शर्मा : प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 19.07.21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा झिलौदा के खाता सं0 136/137 के खसरा सं0 147 की 2.365है0, खसरा सं0 298 की 7.790है0, खसरा सं0 325/1 की 0.759है0, खसरा सं0 326 की 2.656है0, खसरा सं0 326/398 की 1.075है0, खसरा सं0 342 की 3.389है0 कुल 18.0340है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 रामपत के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा सहीराम की खातेदारी हुआ करती थी। सहीराम के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 रामपत ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी; ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 3 हाजिर आपसी सहमती से दावा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 4 स्टेट की ओर से जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा

Scanned with CamScanner

साक्ष्य वादी में पीडब्लयु 1 कृष्ण कुमार पुत्र रामपत के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी झिलौदा खाता सं0 136/137 संवत 2072–75 प्रदर्श 1, जमाबंदी भू प्रबंध विभाग रोही झिलौदा प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत भानगढ प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पडता है। अतः मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही झिलौदा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी झिलौदा खाता सं0 136/137 संवत 2072–75 प्रदर्श 1, जमाबंदी भू प्रबंध विभाग रोही झिलौदा प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत भानगढ प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये। जिसमें प्रदर्श 3 वारिस प्रमाण के अनुसार रामपत के दो पुत्र रतनलाल, कृष्णकुमार व एक पुत्री रोशनी तथा इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। तथा प्रदर्श 2 से वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 का जन्म से हक हिस्सा निहित है । प्रतिवादी सं0 3 ने अपना हक हिस्सा उक्त वाद भूमि में से वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

कियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही नौजा झिलौदा के खाता सं0 136/137 के खसरा सं0 147 की 2.365है0, खसरा सं0 298 की 7.790है0, खसरा सं0 325/1 की 0.759है0, खसरा सं0 326 की 2.656है0, खसरा सं0 326/398 की 1.075है0, खसरा सं0 342 की 3.389है0 कुल 18.0340है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 रामपत के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। में प्रतिवादी सं0 1 रामपत की बजाय वादी कृष्ण कुमार व प्रतिवादी सं0 1 रामपत व प्रतिवादी सं0 2 रतनलाल बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूकि प्रतिवादी सं0 3 ने अपना हक व हिस्सा उक्त वाद भूमि में से वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.07.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner